

केंद्र की स्वीकृत भिलिते ही मध्य प्रदेश में CAA लागू चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत भिलिते ही राज्य में [नागरिकता संशोधन कानून \(CAA\), 2019](#) लागू किया जाएगा।

मुख्य बढि:

- मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों की नीतियाँ पूरुणतः मेल खाती हैं। उन्होंने केंद्र के नरिदेश मलिते ही CAA को लागू करने के लयि अपनी पूरी तत्परता पर ज़ोर दिया।
- मध्य प्रदेश [लोकसभा चुनाव- 2024](#) में आठ सीटों के लयि चौथे चरण का मतदान 13 मई 2024 को होगा।
 - मध्य प्रदेश में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा के लयि मतदान होगा।

नागरिकता संशोधन अधनियम (CAA), 2019

- CAA पाकस्तान, अफगानस्तान और बांग्लादेश से छह गैर-दस्तावेज़ गैर-मुस्लिम समुदायों (हदू, सखि, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दसिंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को **बदिशियों वषियक अधनियम, 1946** और **पासपोर्ट अधनियम, 1920** के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।
- दोनों अधनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीज़ा वैधता समाप्त होने व परमटि पर यहाँ रहने के लयि सज़ा नरिदषिट करते हैं।